Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 36/2021

Mundrika Prasad Singh ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar Through Collector, Purnea ..... Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	31.08.2023	**आदेश** प्रस्तुत सेवा अपील समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–143/स्था0 पूर्णिया दिनांक–30.01.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विरूद्ध नियमानुकूल विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं की गई एवं न्यायालय में मामला लंबित रहने के बावजूद इन्हें बर्खास्त करने का आदेश सही नहीं है। परिवादी मो0 मंसूर आलम, धावा दल सदस्यों एवं अन्य गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इनके द्वारा कभी भी 24,000/– रू0 (चौबीस हजार रूपये) की माँग नहीं की गई थी। इनके विभागीय कार्यवाही में समर्पित स्पष्टीकरण पर सही रूप से विचार नहीं किया गया और आनन–फानन में एक पक्षीय जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया। जिससे नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। विभागीय कार्यवाही के संचालन में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेशों की धज्जियाँ उड़ाते हुए इन्हें दंड दिया गया है। जिसमें संचालन पदाधिकारी के सहभागिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। मंजूर आलम द्वारा लगान रसीद के मद में 21,000/– (इक्कीस हजार रूपया) दिया जाना और निलंबित कर्मचारी द्वारा लेने की बात प्रमाणित नहीं होता है। विभागीय कार्यवाही के दौरान किसी भी गवाह का प्रतिपरीक्षण/परीक्षण नहीं कराये जाने से दूषित विभागीय कार्यवाही माना जायेगा। विभागीय कार्यवाही में समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं संबंधित कोई भी कागजात इन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया और इनसे कभी कोई प्रथम स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया। इनके द्वारा कभी भी कोई रिश्वत नहीं लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई थी। संचालन पदाधिकारी द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एवं निगरानी केस को ध्यान में रखते हुए इनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित कर दिया गया। जो सही नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्णिया ने पत्रांक–788	

Web Copy Not Official.

		दिनांक–25.07.2022 द्वारा तथ्य विवरणी समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रस्तुत अपील कालबाधित होने एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। क्रमशः	
	लगातार 31.08.2023	अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आरोपों पर सम्यक् विचारोपरांत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। आरोप की प्रति एवं अन्य दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध कराये गये हैं। साक्षियों का नियमानुकूल परीक्षण किया गया है। जिसमें सूचक एवं स्वतंत्र गवाह भी सम्मिलित है। विभागीय कार्यवाही के संचालन में नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन किया गया है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी निगरानी धावा दल के द्वारा रंगे हाथ पकड़े गये थे। इनके विरूद्ध कई प्रकार की अनियमिततायें पाये जाने के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई की गई। अपीलार्थी से कारण पृच्छा की माँग की गई थी जिसमें जबाव भी इनके द्वारा समर्पित किया गया है। कभी भी नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया है। इनके विरूद्ध आपराधिक मुकदमा लंबित है। विभागीय कार्यवाही नियमानुकूल संचालित करते हुए समय सीमा अंतर्गत संपन्न की गई है। सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत अपीलार्थी के विरूद्ध दंड अधिरोपित किया गया है, जो विधि सम्मत् एवं न्यायोचित है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने योग्य बताया गया है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी राजस्व कर्मचारी के पद पर अंचल कार्यालय, के0नगर में पदस्थापित थे। मो0 मंसूर, पिता–मो0 तमीज, ग्राम–झुन्नी इस्तम्बरार अपने दादा की भूमि रकवा–42डी0 का भू–लगान भुगतान करने हेतु अपीलार्थी से मिले। अपीलार्थी पर आरोप है कि इन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर मो0 मंसूर से 25,000/– रूपये रिश्वत की माँग की। इसी क्रम में दिनांक–26.03.2019 को मो0 मंसूर द्वारा रिश्वत की राशि 24,000/– रूपये लेते हुए निगरानी धावा दल के द्वारा उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने श्री सिंह द्वारा कदाचार एवं निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु कपटपूर्ण तरीके से रिश्वत लेने के आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया है। अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव में कोई ऐसा नया तथ्य/ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे निम्न न्यायालय आदेश खंडित हो सके अथवा उनके विरूद्ध लगे आरोप मिथ्या साबित हो सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कदाचार एवं निजी स्वार्थ की पूर्त्ति हेतु कपटपूर्ण तरीके से रिश्वत ली गई है जो एक सरकारी सेवक के कर्त्तव्यों के प्रतिकूल एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का घोर उल्लंघन है। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया–सह–अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक् विचारोपरांत अपीलार्थी के विरूद्ध	

Web Copy. Not Official.

		प्रपत्र 'क' में गठित आरोप को प्रमाणित पाते हुए इन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismissed) करने का दंड अधिरोपित किया गया जो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के अनुरूप है। अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित क्रमशः	
	लगातार 31.08.2023	आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल संचिका/अभिलेख जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.